536

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 9(9) नविवि/2000

दिनांक: 11.08.2003

आदेश

विषय– कच्ची बस्तियों में भू-पट्टियों की आवंटन दर निर्धारित करने के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यांक आदेश दिनांक 4.2.2002 द्वारा कच्ची बस्तियों में कब्जा 200 वर्गगज से अधिक होने पर अधिकतम 300 वर्गगज तक का आवासीय आरक्षित दर लेकर नियमन किये जाने के निर्देश दिये गये थे। कच्ची बस्ती क्षेत्र में यदि किसी भूखण्ड के पास कोई अनावंटित/रिक्त भूमि (भू–पट्टी) है और उसका स्वतंत्र भूखण्ड बनाकर विक्रय नहीं किया जा सकता है तथा उसका कोई अन्य उपयोग भी प्रस्तावित नहीं है और उस भू–पट्टी को मिलाकर भी मूल नियमित किये जाये भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक नहीं बनता है तो ऐसी भू–पट्टी का आवंटन आवासीय आरक्षित दर पर किया जा सकता है। आवंटन पश्चात् ऐसी भू–पट्टी भी नियमित किये गये भूखण्ड का भाग हो जायेगी इसलिये इसका आगे हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा।

उप शासन सचिव